K A KR1SHNASWAMY MP WAS ACCORDINGLY ARRESTED AT 12.10 HOURS ON 26-2-1973 AND RELEASED AT 1300 HOURS THE SAME DAY."

THE REQUISITION AND ACQUISITION OF IMMOVEABLE PROPERTY AMENDMENT BILL, 1973

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immoveable Properly Act, 1952, be taken into consideration."

As the House might be aware, it has been thought by Government that the provisions regarding the requisitioning and acquisition of immoveable property should continue to remain a separate enactment. Looking back to the history of the Act, which we propose to amend, it may be recalled that the power of the Government to requisition or acquire immoveable property has been in existence for over three decades continuously. This power was first conferred on the Government under the Defence of India Act, 1939. On the lapse of that Act in September, 1946, after the end of the second world war, the properties requisitioned under the Defence of India Act continued to remain under requisition in view of the enactment of the Requisitioned Land (Continuance of Powers) Act. 1947. Subsequently, Parliament enacted the Requisitioning and Acquisition of Immoveable Property Act, 1952. While conferring the power of requisitioning and acquisition of immoveable property on the Government, the Act also provided that the properties requisitioned under the Defence of India Act, 1939 shall be deemed to be requisitioned under the Act of 1952. The Act came into force on the 14th March, 1952

Immoveable Property 242 (Amdt.) Bill, 1973

and was initially to remain in operation for a period of six years from that date, but its duration was extended from time to time. The Requisitioning and Acquisition of Immoveable Property (Amendment) Act, 1970 made it a permanent measure, but restricted the period for which the requisitioned properties could be retained under requisition to three years from the commencement of the amendment Act in the case of properties requisitioned before such commencement and in the case of any property requisitioned after such commencement to three years from the date on which possession of such property was surrendered, or delivered to, or taken by the competent authority under section 4 of the Act of 1952. As the amendment Act of 1970 came into force on the 11th March, 1970, the maximum period for which properties requisitioned before the commencement of that Act can be retained under requisition will expire on the Uth March, 1973.

A large number of properties requisitioned under the above Act are still in the possession of the Ministry of Defence and also some other Ministries. Although Government is expeditiously implementing the policy of acquiring or de-requisitioning the requisitioned properties, a large number of them are expected to be needed by Government even after the 10th March, 1973, for public purposes.

On many of these properties, valuable constructions of a permanent nature connected with national defence or the conduct of military operations or other important public purposes have been put up. It will not be expedient from public and defence points of view to remove the structures for the purpose of release of the properties to the owners pending a decision to acquire or release the properties.

As such, it is considered necessary to amend the Act so as to extend by merely two years the maximum period for which

[Shri Om Mehta] properties may be retained under the requisition. This is the purpose of the present Bill.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Why two years?

SHRI OM MEHTA: Only for two years now. It is, however, intended to bring forward later a comprehensive legislation providing for a longer period of requisition and revision of compensation so as to safeguard the interests of persons whose properties are taken possession of by the Government for public purposes.

With these words, Sir, I commend the amending Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा (मध्य प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जैसा कि ओम मेहता जी ने कहा है कि वे डिफेंस के नाम पर किसी की प्रापर्टी को रिक्यजीशन करना चाहें तो उसके लिए दो वर्ष की ग्रावधि बढा दी जानी चाहिए, तो इसमें डिफेंस का कोई प्रक्न नहीं है । ग्रगर डिफेंस का प्रश्न है तो डिफेंस झाफ इंडिया ऐक्ट और डिफेंस चाफ इंडिया रूल्स माज के बहुत वर्ष पहले लागू किये गये थे झौर उस समय यह कहा गया था कि यह केवल लड़ाई के समय के लिए ही हैं और लडाई के बाद उन को इंफोर्स नहीं रखा जायगा । लेकिन उस के बाद जब इस बिल की ग्रवधि बढाई जाती है तो यही कहा जाता है। ग्राज भी दो वर्षकी ग्रवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है ग्रौर यह कहा जा रहा है कि बाद में कोई परमानेंट मेजर लाकर यह ग्रधिकार शासन ग्रपने हाथ में रखना चाहता है कि किसी की प्रापर्टी को यदि वह चाहे तो रिक्युजीशन कर ले झौर झपने उपयोग में लाये । मेरा यह निवेदन है कि जहां सरकार का यह कत्तंव्य है कि वह देश की रक्षा करे ग्रीर डिफेंस की दण्टि से यह बहत ग्रावश्यक है तो जहां वह जनता की संपत्तिको रिक्यजीमन करती है वह बहत लिमिटेड परपज के लिए होना चाहिए।

ग्रगर इन अधिकारों का इस प्रकार खुल कर प्रयोग होता है तो डिफेंस के लिए भी यह एक मनचित बात होगी और जनता के हृदय में देश की डिफेंस के लिए जो ग्रास्था है, जो उस की भावना है और जो वह उसके लिए किसी प्रकार की असुविधा भी बदार्शत करने को तैयार रहती है उसकी उस भावना को ऐसा होने से ठेस लगेगी। ग्रौर ग्रगर हम डिफेंस के नाम पर परमानेंट रूप से किसी की संपत्ति को एक्वायर करें, या रिक्युजीशन करना चाहें तो मेरा निवेदन है कि उसके लिए शासन को अपवाद के रूप में ही इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए । जब किसी की प्रापर्टी एक्वायर किये बिना कोई रास्ता न रहे तभी इस पावर का उपयोग किया जाना चाहिए। पहली बार यह कानून तीन साल के लिए था, उसके बाद भी एक निश्चित अवधि के लिए यह बढाया गया था, लेकिन ग्राज हम से कहा जा रहा है कि सरकार इस के स्थान पर एक परमानेंट भेजर लाना चाहती है। यह ग्रनचित बात है। मुझे उपाध्यक्ष महोदय, मऊ कैटोनमेंट में रहने का ग्रवसर मिला है और मैंने देखा है कि किस तरह जो संपत्ति चाहते हैं वे अधिकारीगण वह डिफेंस के नाम पर ले ली जाती है। किसी न किसी तरह से उस संपत्ति को एक्वायर कर लिया जाता है. जनता की संपत्ति एक्वायर कर ली जाती है और वर्षों तक वह गरीब दर-दर की ठोकरें खाता रहता है झौर हर तरह की असुविधा बर्दाश्त करता है जबकि उस प्रापर्टी को रखने की, रोकने की कोई वजह नहीं होती । वह उसके स्थान पर झाल्टर-नेटिव कंस्टणन करा सकते हैं. दूसरी जगह जमीन पही रहती है, शासन की जमीन है, लेकिन डिफोंस के नाम पर लोगों की संपत्ति एक्वायर कर के सरकार रखे रहती है जबकि उसके मालिक को हर तरह की ग्रस्विधा और कठिनाई उठानी पडती है झौर इस नाते जो यह खबधि तीन साल की बढा कर पांच साल की जा रही है और बाद में कोई परमानेंट मेजर लाने की बात की जा रही है यह अनुचित है । शासन का कर्तव्य यहां के नागरिकों के ग्राधिकारों की रक्षा करने का उतना ही है जितनाकी देश की रक्षा करने का है और

245 Requisitioning and [28 FEBRUARY 1973] Acquisition of

इस नाते डिफेंस के नाम पर बार-बार म्राप इस की ग्रवधि बढायें और लोगों की संपत्ति को ग्रनचित रूप से एक्वायर करें यह ठीक नहीं है। ग्रीर फिर, यह निर्णय आप नहीं करते, निर्णय स्यानीय ग्रधिकारी करते हैं, जो कैन्टोंमेन्ट का डाइरेक्टर या कमांडर होगा वह निर्णय करता है, या छोटे ग्रधिकारी निर्णय करते हैं । वह हमेशा पब्लिक परपज या डिफेन्स के लिए बावध्यक है. इसका सही निर्णय नहीं होता है और आगे जाकर न्यायालयों में भी कोई रिलीफ नहीं प्राप्त होता है क्योंकि डिफेन्स का नाम वहां लगा दिया जाता है। तो इस नाते से लोगों के ग्राधकारों पर कुठाराधात होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें 3 साल की ग्रवधि उचित थी। ग्रापके शासन के पास काफी अधिकार हैं, काफी भुमि है, नए स्टक्चर खडे कर सकते हैं। जब ग्रापने निश्चित समय के लिए प्रापर्टी रेक्किजशिन की तो उस तरह के परमानेन्ट स्टुक्चर क्यों खडे करते हैं। तो धाप बाजार की कीमत पर उसको प्राप्त कीजिए। शासन के पास बहुत सी जमीन है और उसमें कन्सट्क्शन कर सकते हैं, क्यों आप टेम्पेररी मेजर के रूप में इसको ग्रडाप्ट करना चाहते हैं। ग्राप परमानेन्ट मेजर्स क्यों नहीं ले रहे हैं। ग्रापकी यह बात अनुचित है और इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हं। यह उचित नहीं है कि परमानेन्ट मेजर के रूप में यह एक नहीं झनेक रूप में चला मा रहा है। आप मलग कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, प्रापर्टी का यज कर सकते हैं।

SHRI DAHYABHAI V PATEL (Gujarat): Sir, normally we would like to support the Government in all measures that they take for the defence of the country. But is this a measure for the defence of the country ? We are yet to be convinced. The Hon. Minister, while moving the Bill, made very few remarks. One of the remarks indicated that he has Bill after that.

SHRI OM MEHTA : No, no. SHRI DAHYABHAI V. PATEL : This is the thin end of the wedge.

Immoveable Properly (Amdt.) Bill, 1973

SHRI OM MEHTA : It is in the interest of those whose properties we are requisitioning.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : I am sorry I have become very chary about the greedy nature of this Government. They are encroaching on the rights of the people. Every day their greed is increasing.. They do not ihink of the people. They do not think of the ordinary rights of the people. I will give you an example. Under the Defence of India Rules as applied by the British, a property was requisitioned in Delhi. It is not a big house; it is a very small house. That is a house where my father used to live. That belonged to a friend and my uncle, when he resigned the chairmanship of the Assembly lived there. Now because he was a friend of the British thought were the people who opposing them this property was requisitioned, and it remained under requisition for a long time even when we got freedom. It was not used; it was empty. When my father became Minister he was told "These are the houses. You can take whichever you like. These are requisitioned; these are private". And contrary to wrong beliefs of even people like Jayaparakash Narayan, he elected to take this house, because it is one of the smallest houses. No. 1, Aurangazeb Road is one of the smallest houses with a very small compound. He said, "We are talking of setting up an example of austere living. So I will take a small house." He did not take a big house on Edward Road or Rajtndra Prasad Road or on Motilal Road, where there are big houses with large compounds. He took a small house. What did our Government do after coming to power ? That house remained under requisition even something up his sleeve further on. It is afterwards. Does the Government pursue the 'two years' now and he is bringing another same policy of harassing people who are not very friendly with them ?

246.

Immoveable Property 248 (Amdt.) Bill, 1973

SHRI OM MEHTA : Certainly not.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Then -why was it kept under requisition for so long ? At that time building material was cheaper. After the war at least there was no dearth of building material. There is so much of steel, there is so much of cement, there is so much of land in Delhi, and there is so much of unemployment. As a measure of employment relief more buildings could have been built. It should not be necessary to requsition properties like this.

Then another feature of this measure which I do not like is that you requisition somebody's property, but you do not even listen to him. He is not given an opportunity to represent. He is not given notice that his property is going to be requisitioned He is not even given an opportunity to represent. Have you provided a specific right to appeal ? Has he got the right to SO to the court against your orders?

SHRI OM MEHTA: Yes, why not?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Is it provided in the Bill? No, the Government never thinks of a court between a citizen and itself. The Government is everything as against a citizen. That is what I object. There should be a provision in the Bill for a person for going to the court if he is aggrieved. We have known cases where Government action is highhanded and oppressive very often. Where is the provision here I Will you please point it out in the Bill ? Where is the provision that a citizen has got a right to go in appeal against an action which is vindictive and oppressive ? It has been done by the Congress Governments all over. They have been oppressing, they have been trying to punish people, oppress people.

harass people, in this way by taking their property, whether they want it or not for a public purpose. To say 'for a public purpose' is very easy. I thought the Ministry under the new Minister...

SHRI SYED HUSSAIN (Jammu and Kashmir) : On a point of order. Sir. For my guidance I want to know from the honourable Member, when there is an emergency, may be, financial, may be, depredation on the borders, when fundamental rights are suspended, in those circumstances, can be approach the court for such purposes ? These are Defence measures which the Government has suggested. I want the honourable Member to say something on this for my guidance.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: We have all said nobody in the House is opposed to Government taking necessary measures for defence purposes. But you must convince us that there is emergency. Where is it ? There is no war. There is no state of emergency.

SHRI OM MEHTA : We are still having an emergency.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : As soon as it comes to the rights of the citizens, the property of the citizens, the fundamental rights of the citizens, there is war. Your war is against the citizens of India. That is my complaint. This is not a war against the enemies of India. It is a war against the citizens of India. And I do not want to support this. I thought the new Minister, who has such outlook and such feeling for the poor people, particularly as he comes from the State of Bihar which is so backward and so poor, would have a little more feeling for the rights of the ordinary citizen and his property. Simply because somebody has property, he does not become a person against whom a war

249 *Requisitioning and* [28 FEBRUARY 1973] *Acquisition of*

should be waged. The property may be big, the property may be small. It is a matter to be decided on merits. And in this Bill there is no provision for the person who requisitions the property-he may be an officer, he may be a good officer or a bad officer-to state the reasons as to why he cannot do otherwise than requisition the property. There has been so much of construction going on all around Delhi. Huge buildings have been built. And have we not heard of buildings which have been lying vacant since their construction for years together simply because there is no water supply ? For ten years or more there are buildings lying vacant for want of electricity supply. This is maladministration, mismanagement, of Government. And when Government is in this state of mismanagement of our affairs, I am very much against giving them this right, this sort of free use of everything and riding roughshod over the rights of the people. There must be a provision that proper reasons must be stated. And the person who is aggrieved or who feels aggrieved, must have a right to appeal not only to the Minister, but also to a court when he feels aggrieved. And then proper compensation must be paid for use of his property. I know of cases where this has not been done. I went to see that building on Aurangazeb Road after it was derequisitioned by our Government.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Has it been derequisitioned ?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL It

has been derequisitioned now. But it has been derequisitioned in a horrible state. It was never utilised by the Government. And do you know to what use it is put now ? To house the Election Commission office...

SHRI MAHAVIR TYAGI : Who was the proprietor ?

Immoveable Property 250 (Amdt.) Bill 1973

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : He is a man staying in Delhi, one BanwarilaL So from experience I may point out that these rules are more likely to be misused than properly used. And therefore, so many safeguards are necessary. If you' want me to repeat : proper notice must be given; the man must have the right to represent his case not only to the officer, but even to a court of law if he feels aggrieved, and proper compensation must be paid. And the property must be returned in proper condition whenever it is returned.

BALACHANDRA SHRI MENON (Kerala): I should have been happy to support a Bill of this nature. But I am afraid I cannot, because I feel this is a measure just to cause harassment to people. This Bill docs not look to be a Bill which is intended to strengthen the hands of the Government. If the Government want a building for certain purposes like defence, I can understand that. If there is an emergency and if you want to requisition a property, I can understand that.. But I cannot understand why you extend this right from 1939 onwards. You are-not sure whether you want the land or building. You just keep it for a number of years. When the Bill was passed last time, we opposed it and said: "You can have it only for three years"-Now, you want to extend it to another two years ...

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Now there is a threat for extending it by five years.

SHRI BALACHANDRA MENON: That is why I am saying that this measure will be used for harassing people. After all it is not the people who sit here who implement the law. Any small property will be requisitioned. In the case of small properties, you could have paid a decent amount. You do not do it. If it is a large property, you cannot pay as much. Even

[Shri Bala Chandra Mtnon] then

you

Immoveable Property 252 (Amdt.) Bill, 1973 if we agree on some good things. But unfortunately you do not have any such ideas. You allow officers to decide.

requisition. And then for years you keep it. Then you put up structures. Then you say: "Because we have put up ' •big structures, it is not possible to make valuation. Therefore, we will continue to keep it." This is what you are doing. If the structure is very valuable, then you purchase it. Let there be an honest deal. This is dishonest. Let me tell you that all this is done in the name of emergency. What is this emergency which goes on for years after years Emergency can be there for a certain period of time. After that you will have to say that the emergency is over. You do not say it. I will give you an example. Kerala Government had a house here called the Travancore House. That was requisitioned by the Government of India, for defence purposes in 1939. Quite correct. Years CRP wanted it and it was handed after. over to them. They allowed people to make use of it and put up small structures. Then people who were occupying those it refused to go out. This is what is happening. This is the way how they have made use of this Bill and allowed encroachments in the property and refused to evict those who encroached. All in the name of emergency. What is this ? I cannot understand how irresponsible this Government is. I am sorry to say so. If it was for an emergency and if there is some difficulty during the period of emergency, any property can be acquired. ...

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : A good certificate from your ally.

SHRI BALACHANDRA MENON: 1 am not such an ally as you are. 1 support whenever they do something good and oppose whenever they bring forward such Bills as this. 1 am together with them for good purposes and not for wrong purposes. Let that be very clear. To that extent all of us are allies. We can go with you also

As Shri Patel has stated, why don't you give the man a chance ? You do not give it. Why don't you say for what purpose you want it ? You do not do it. If you want to extend it, extend it by a few days, not by years. Do you think that we are all fools here to permit you to go on extending this like that for no reason ? You just bring forward a Bill of this kind and say: "We want to extend it by another two years . Why cannot you foresee ? You don't. Then, why don't you buy it if you want the land ? You don't want to spend, but you want to take a poor man's property or somebody's property. As long as you allow property to remain, its value must certainly be given to the man from whom you take it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : That is right.

SHRI BALACHANDRA MENON : That is all my case. I am not a worshipper of property. But, certainly I do say that during this period and during this present phase of our changing social relations, petty property owners will be there and their rights will have to be guarded and guarded jealously also. Why should not they be protected? We have not come to a stage where we can go to some other form of production. When that is not so, let us at least do things which are good. Let us be honest. You should be honest and you should tell the people. "Wc take it for a certain period" or, hand it back. If there are structures, give the full value for them so that the man can have at least that much amount with him when he has given his property for the country, in the interest of the country. You should have been more generous to him when you have taken it

from him. Why do you want to go on requisitioning ? Why don't you pay ? 1 am against this sort of thing.

Now, I want you to inquire into what has happened to the Travancore House. I want to know why the Government has kept it for so long and I want to know why it was not given back. When the CRP was removed from that, the Monopolies Commission wanted to be put up there. You are not sure about the purpose for which you are acquiring it. You started with Defence and ended with some other office. Is it the way how you acquire things ? Why don't you tell the people, why don't you tell the Kerala Government, that this is intended for defence, that this is intended for military purposes ? But you simply pass it on to the Monopolies Commission ! Now, so many families of the jawans are there and they refuse to go because they have not been given houses. You should have done that. People who are your servants should have been given houses and it is your look-out. Somebody else's house should not be handed over to them. But that is what you are doing. I am sorry this attitude of yours will create a great discontent amongst the people. That is all what 1 can say on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Ranbir Singh.

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की मुखालिफत जनसंघ वाले भाई करें या डाह्याभाई पटेल जी करें, स्वतन्त्र करें, लेकिन यह समझ में नहीं ग्राया कि सी पी ग्राई वाले भी इसकी मुखालिफन करें। ट्रावन्कोर हाउस के बारे में ...

श्वी महावीर त्यागी: सी पी आई वाले कोई आपके खरीदे हए गुलाम है ?

श्री रणबीर सिंहः वह तो ग्रापने देखा था। न बह हमारे हैं, न हम उनके साथ हैं, यह तो

Immoveable Property 254 (Amdt.) Bill, 1973

आपकी सोच है। उपाध्यक्ष महोदय, त्यागी जी पूछना चहते हैं कि मुझको इस बात से ताज्जूब क्यों हम्रा कि सी० पी० ग्राई० वाले भी इसकी मुखालिफत करें। आप जानते हैं कि हमने विधान बदला, यहां तक बदला कि जिस भी जायदाद को लेना चाहें देश के हित के लिये उसका कम्पैन-सैशन, उसका मुआवजा खदालतें तय न करें, हमने जमीन के लिये किया, मकान के लिये किया और श्रव 5 लाख की जायदाद या तीन लाख की जायदाद के ऊपर पाबन्दी लगाने जा रहे है। तो सी० पी० ग्राई० वाले भाइयों ने जिस डात को हमारे साथ बड़े जोर से कहा आज उसी बात के उल्टे जा रहे है इसी से ताज्जब लगा, न वे हमारे खरीदे हये हैं, न हम उनके खरीदे हये हैं, उनकी ग्रलग सोच है, विचार है, पार्टी है। त्यागी जी भाग गये हमारे साथ से, पता नहीं सोच भी कहांचली गई। डाह्वाभाई जी को बनबारी लाल जी की झाज याद झाई। मेरी जाती राय यह है कि सरदार बल्लभनाई पटेल और बिट्रलभाई पटेल जिस मकान में रहे बह सरकार को लेना चाहिये, बह एक ऐतिहासिक स्थान है। डाह्याभाई पटेल पिताजी को भूल सकते हैं, ताउजी को भुल सकते हैं, लेकिन यह देश सरदार बल्लभभाई पटेल ग्रौर बिट्लभाई पटेल की सेवाग्रों को नहीं भूल सकता। जिस तरह बिडला साउस को लिया गया, अगर बह डीरिक्वीजीशन किया गया हो तो भी मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बनवारी लाल जी को चाहे महल दे दो हमें एतराज नहीं लेकिन जिस मकान में बिट्रलभाई पटेल और सरदार बल्लभगई पटेल रहे हों वह देश की जायदाद होनी चाहिये वह किसी व्यक्ति की जायदाद नहीं ग्रीर रहनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्ज्व लिये भी सी० पी० स्नाई० हया कि इस वाले ग्रगर किसी राजा के नाम 97 कोई मकान है और उसके झन्दर फोजी जवान के परिवार वाले रहते हैं तो उनको निकलवाना चाहते हैं। यह सेंटर और स्टेट का झगड़ा उनके दिसाग में ग्रा गया. बरना चाहे केन्द्र के लिये इस्तेमाल

[श्री रए।बीर सिंह]

होता हो चाहे किसी प्रदेश के लिए इस्तेमाल होता हो, यह कोई बहुत झगड़ें की बात नहीं थी। यह कोई ऐसी झगढ़ें की बात नहीं थी कि जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी की है या जो सरहदों पर बैठे हुये हैं, उनके परिवार वालों को निकाल दिया जाय श्रौर इसलिये निकाल दिया जाये चूंकि सी॰ भी॰ जाई॰ वाले चाहते हैं। हम को उनके परिवार वालों से हमदर्शी है जिन्होंने इस देश की रक्षा की। यब कहा जाता है कि ग्राया इमर्जेसी हटें या नहीं हटे। जुन 1944 में

3 p. M. लड़ाई खत्म हुई तो उसके बाद भी

इमर्जेंसी चलती रही। यहां अभी लड़ाई को खतम हये साल सवा साल ही हये हैं। राष्ट्रपति के प्रभिभाषण पर बहस के समय जो विरोधी दल वाले भाइयों ने लेक्चर दिये, प्रवचन चनाये, उस में वे सरकार को यह बताना चाहते थे कि सरकार को होशियार रहना चाहिये चुंकि ईरान में जो हथियार आ रहे हैं वे पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। और भुट्रो साहब भी बड़ी शक्ति बना रहे हैं। मानिक शाह साहब की बात को भी वे याद दिलाते थे कि मानिक शाह साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान की फौजी शक्ति 1971 से ज्यादा नहीं तो उतनी अरूर हो गई है उस बात को वे इतनी जल्दी भूल गये ग्रौर इसलिये भूल गये चुंकि उनको इस विधेयक का विरोध करना है बरना उनको यह भूलना तो नहीं चाहियें था।

मैं श्री डाइगाभाई जी से कहना चाहता हूं कि वे बहुत प्रोग्रेसिव थे और स्वतन्त्र पार्टी में पहुंच गये, लेकिन एक बात हमें जाननी चाहिये कि सब को समय के साथ उतना चलना होगा। सखलेचा जी, आप भी चाहे जन संघ वाले हों या कोई भी हों, आप को भी समय के साथ चलना हांगा।

श्री बोरेन्द्र कुमार सखलेचाः चौधरी सहाव, इस बिल में जम्मू पर मोर्चा लगाने का क्या प्रावधान है।

Immoveable Properly 256 (Amdt.) Bill, 1973

श्री ररणबोर सिंह : प्राध जम्मू की फिक वयों करते हैं। अब दुनिया वड़ी छोटी हो गई है। जब लड़ाई में हवाई जहाज झाते थे तो पालियामेंट हाउस के उपर भी उड़ते थे ग्रीर जम्मू के उपर ही नहीं उड़ते थे। अब हवाई जहाज वड़ी तेजी से उड़ते हैं। उन हवाई जहाजों से बच कर कार-खाने कहां लगायें, कहां पर क्या रखें। उसके लिये बड़ी सुरक्षकी जरूरत है। सिर्फ जम्मू की बात नहीं है।

श्री मान सिंह बर्मा (उत्तर प्रदेण)ः श्राप विषय से ग्रलग हो गये।

श्री रणश्रीर सिंहः ग्रापको फिक क्यों है। आप को क्यों चोट लगी। आप को तो हमारे साथ हमदर्दी दिखानी चाहिये थी क्योंकि हम ग्राप के लिये मकान हासिल करना भाहते हैं।

श्री माल सिंह वर्माः यह मैं इस लिये कहता हूं कि छोटे-छोटे लोगों के मकान ले लिये गये डिफेंस आफ इंडिया रूस्स के प्रत्तग्रंत ग्रीर पांच-पांच साल लक उनको कोई कम्पेंसेशन नहीं दिया गया। बाद में उनके बहुत प्रयत्न करने पर ग्रीर ग्रप्लीकेशन देने पर उनको कम्पेंसेशन दिलवाया गया।

श्री रणबीर सिंह: आप इस विना पर पहले इस बिल की सुखालिफत करते कि छोटे-छोटे गरीब प्रादमियों के सकान ले लिये गये हैं तो वात समझ में आ सकती थी। ग्राज तो थी भोला पासवान सारली इस मंतालय के मंत्री हैं जो ग्राप से ज्यादा गरीवों की फिरू रखेंगे। ग्रगर उन्होंने किसी गरीब का मकान लिया होगा तो उसके वे बंदिया मकान ले कर के देंगे, उसके लिये नया मकान बनवा वेंगे। इस लिये धाप उनकी फिरू छोड़ दीजिये। ग्रसल बान यह है कि ग्राप बहकावे में आ गये हैं। न तो सज्वलेचा साहब ने कहा ग्रीर न डाह्य भाई जी ने जिन्न किया। नई दिल्ली में मकान ग्रीर गरीब के साथ हमदर्दी। बनवारी लाल का मकान कितनी वर्डिया जगह पर ग्रीर उसी के लिये हम हमदर्दी करें ते। क्या वह किसी गरीब

257 *Pequisiiionmg ard* [28 bEBRU ARV N73 J *Acquisition of*

के साथ हमदर्दी है? किसी काटोंनमेंट बोर्ड के ग्रन्दर कोई मकान लिया हुआ हो तो क्या उस के लिये वकालत करना गरीब के साथ हमदर्दी करना है ? ग्रीर ग्रगर किसी गरीब का मकान हो तो में उस के लिये सहमत हं आप के माथ, और सरकार को अगर उस मकान को जरूरत है तो सरकार को उसे खरीद लेना चाहिये ग्रीर उस के बदले उस को नोई प्लाट दे देना चाहिये या दूसरा बना हुछ। मकान उसे दे देना चाहिये। मैं इस बात से भी सहमत ह कि जब हम विधान के अन्दर तबदीली ने आये हैं तो अगर हम इस बात के लिये ही उस तबंदीली की इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किस बात के लिये करेंगे। रक्षा मंत्रालय के लिये या देश की रक्षा के लिये अगर कुछ मकानों की जरूरत है तो में यह समझ सकता ह कि कुछ मकान ले लिये जाये क्योंकि मकान बादि बनाने में साल डेढ़ साल का समय तो लग ही सकता है। ग्रीर ग्रगर देश की रक्षा के लिये उन खास मकानां जी ही अवध्यकता है तो सरकार को उन को खरीद लेना चाहिये। सरकार का एक्वीजीजन ज्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिये, यह मैं मानता है। इस लिये मेरी राय है कि आज जब हम ने विधान बदल दिया तो डाह्ययाभाई जी के विचारों के लिये कोई जगह नहीं रहती और न सखलेचा जी के विचारों को कोई जगह रही है, हां, यह बात जरूर है कि अपगर कही देश की रक्षा के जिये सरकार को किसी जमीन या मकान की जरूरत है तो बह सरकार को जरूर लेनी चाहिये।

श्री महावीर त्यागी: एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई मकान रक्षा के लिये लिया जाये यह बात मैं समझ सकता हूं, लेनिन रक्षा के नाम पर लिया जाये ग्रौर उस में सिविल ग्राफिस खोले जायें या उसे किसी के रेजीडेंस के लिये यूज किया जाय तो क्या यह गलत बात न होगी ?

श्री रणवोर सिंहः उपाध्यक्ष जो, त्यागो जो पुरानी व्याख्या में ही फरें हैं। पहले रक्षा के मायने यह थे कि उस में केवल फौजी सिपाही ही रहेंगे | 18 RSS/72—9

immoveable Property 258 (*Aindt.*) *Bill*, 1973

या फौजी प्रफसरों के लिये चाहिये, लेकिन प्राज देश के सिविल अफसर भी किसी न किसी योजना में लगे हुये हैं धोर में इस बात को छिपाने वाला नहीं हूं। मैं यह मानता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज की सरकार जो है वह बिलायत के लोगों की सरकार नहीं है। याज हिन्दुस्तान के लोगों डारा चुनी हुई यह सरकार है, हिन्दुस्तान के लोगों के लिये है और हिन्दुस्तान के हित के के लिये है...

थो डाह्यामाई व० पटेलः वंसीलाल के लिए है।

श्री रणबीर सिंह : ग्राप को वसी लाल का बुखार कहां से ग्रा गया ? ग्राप भी अध्यापक बनने जा रहें हैं क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राज ग्रपने एक दोस्त से कह रहा था कि हरियाणा के प्रध्यापकों ने बच्चों को पढ़ाना तो छोड़ दिया, ग्रब वे पालियामेट के सदस्यों को पढ़ाने के लिए इधर ग्रा रहे हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि डाह्याभाई जी उन से बहुत कुछ पढ़ गये हैं ग्रीर डाह्याभाई जी उन से बहुत कुछ पढ़ गये हैं ग्रीर डाह्याभाई जी ने उन की पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली है। ऐसा ही मुझे लगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राप के जरिये सरकार से निवेदन करूंगा ग्रीर त्यागी जी से भी यही कहूंगा कि ग्राज देख की रक्षा के लिए सव चीओं की जरूरत है।

(Interruptions)

लफ्जों से कुछ ज्यादा हेर फेर नहीं पड़ने बाला है । देश को रक्षा के नाम पर सिबिल अफसरों के लिए भी जमीन क्यों ली जा रही है, यह सवाल है, लंकिन हमारी सी०पी० आई० के मेम्बर चले गये, उन के यहां तो फौजी अफसरों के लिए भी जो जमीन ली जाये उस को भी बह देश की रक्षा के लिए नहीं मानते । देश की रक्षा एक ऐसा गब्द हो गया है कि जिस का अर्थ कोई कुछ निकालेगा और कोई कुछ । आज हर भाई जो बाम करता है वह देश को ऊंचा उठेग तो देश की रक्षा होगी । तो इस तरह से हर भाई देश की रक्षा का काम करता है चाहे बह सिबिल झाफिस में काम करता हो या फौज में काम करता हो या किसी कारखाने में काम करता

immoveable Property (*Amdi.*) *Bill*, 1973 260

[श्री रणबीर सिह]

हो । वह सारे काम देश की रक्षा के लिए ही हैं। पता नहीं कि जो हमारा हवाई जहाज या मौटर बनाने का कारखाना है उस से जो हवाई जहाज या मोटर या ट्रक बन कर निकलंगा वह जम्मू में मार्चे पर जायेगा या हमारे इस्तेमाल में आयेगा इस को कोई जान नहीं सकता। कोई उसके आंदर तकसीम नहीं कर सकता। तो इसलिए इस ख़याल में ज्यादा पड़ने से कोई ख़ास फायदा नहीं। आज हमको मानना चाहिए कि देश के लिए...

श्री लोकनाथ सिश्व (उड़ीसा) : आपका आर्मुमेन्ट मुन कर मुझे यह विण्वास हो गया है कि सरकार को वरल्ड कोर्ट में अपर किसी को भेजना हो तो हिन्दुस्नान की नरफ से आपको ही भेजना चाहिए।

श्री रणबीर सिंहः मुझे खुणे, है, लेकिन जिस तरह से...

भ्यो लोकनाथ निभ्राः मैं आपका । रकनण्ड कर रहा ह।

श्री रएगबीर सिंह : नाटकों में जो लोग काम करते हैं वे बदलते रहे हैं, इसी तरह से उनके विभाग भी बदलते हैं। पिछली दका ये मुझ से कहते वे मुझे कुछ नहीं खाता, मैं पढ़ा लिखा नहीं। ख़बको दका वरल्ड कोर्ट के लिए मेरी सिफारिश करते हैं। तो मुझे पता नहीं दिल से करते हैं या दिखाये के लिए करते हैं ...

श्री लोकनाथ मिश्र : नही, दिल से ।

श्री रणबीर सिंहः ... लेकिन ग्रयर दिल से करने हैं तो मैं उनका सणकुर हूं। मयर मैं इसके लायक अपने आप को नहीं मानता और अयर आप मान जाएं तो सझे ऐतराज नहीं।

श्री डाह्याभाई व०पटेलाः वे जाने केलिए तैयार हैं।

श्वी रणबीर सिंहः जाने के लिए तैयार नहीं हूं, डाह्याभाई साहब । इस बात कि फिक मत करो मुझे तो बापके साथ रहना है ।

उपसभापति महोदय, मैं यह मानता हूं, जैसा इसमें जिन्न है, कुछ मकान बन गए ग्रीर वह देश

की रक्षा के लिए चाहे वह सिविल के लिए हों. चाहे यह फीज के लिए हों, जहां जहां जरूरत है, जिसके मकान की जिसको जरुरत है उसको सरकार को लेना चाहिए, सरकार को खरीदना चाहिए, लेने से मेरा मतलब है कि सरकार को उसे खरीदना चाहिए और ग्रमर वह बहत बड़े सादमी का है तो उस चक्कर में नहीं रहना चाहिए--वह भी कोई ग्रच्छी बात नहीं हई---कि हम 5 लाख की हद मकरें करने जा रहे हैं। बिडला हाऊस को हसने ले लिया गांधी जी, राष्ट्रपिना को याद के लिए, तो उसके 55 लाख २० दे दें। यह अच्छी बात नहीं है। बगर कोई अच्छी जायदाद हो, 5 लाख से नीचे नीचे मग्राविजा देना चाहिए । यह भी हो सकता है कोई मकान पहले का बना है तो उसमें पैसा कम लगा हां ग्रीर आज उससे छोटा मकान बनता है तो ज्यादा रुपया लगना है। अगर छोटा मकान मालिक है तो उसको ग्रदालत में जाने की नौबत नहीं ग्रानी चाहिये । डाह याभाई जी कहने हैं उधर नहीं जाना चाहिए ! में जाननीय मंत्री जी से कहंगा वे इस बात का अगर कही जित्र है तो भी कम से कम झाल्यासन न दें। मले याद है, कांस्टीटय्एंट ग्रसेम्बली में मैं ग्रीर त्यागी जी एक बेल्च में बैठा करते थे, उस जमाने में कांस्टीट्यणन के बंदर एक जब्द लिखा गया जिसको हम समझते थे बिल्कूल वे-मतलब है -रीजनेवल कम्पेल्सेणन----ग्रौर रीजनेवल कम्पेन्सेशन को हराने के लिए देश को 22-23 साल लगे ग्रीर इनना हल्ता-गुरुला मचा एक प्रख्या का। तो यह अदालत के पेंच में नहीं जाना चाहिए । मैं किसी अदालन को भला-बरा नहीं कहना हं लेकिन यह सारा मांध्र प्रदेश का झगडा म्रदालन से खडा हम्रा है। डाह्याभाई जी को मौका लगेगा वकील ले जाएंगे---कोई बनवारी लाल, कोई कुल्फी वाला कोई विना कुल्फीवाला । तो किसके लिए वे कहते है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जहां तक इस बिल का ताल्ल्क है, ग्रदालत के पेंच में उसको फंसा देना न तो मकान मालिक के हित में है, न सरकार के हित में है बर्कि वकीलों के हित में है। सरकार को जो कानून बनाना चाहिए वह लोगों के हिन के लिए और देश के हित के लिए कानन बनाना

261 *Requisitioning and* [28 FEBRUARY 1973] *Acquisition of*

चाहिए । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डाह्याभाई पटेल जो चाहते थे उसका आध्वासन देने की आवश्यकता नहीं है । जब हमने संविधान में तबदीली की है तो हमको मानना चाहिए कि हमको जब जरूरत होगी हम उसको खरीदेंगे और प्रगर कोई छोटा आदमी है तो उसको दूसरा मकान दे देंगे, उसको आस्टरनेटिव प्लाट दे सकते हैं, उसको कर्बा दे सकते हैं, उसको मुआवजा ज्यादा दे सकते है अगर वह गरीव है, अमीर है तो उसको उतना ही क्म दे सकते है और इसलिए हमने संविधान में तबदीली की ।

श्री भूषेन्द्र नारायण मण्डल (बिहार) : उप सभापति जी, जिस दंग से यह बिल आया है उसको तो मैं ना-पसन्द करता हं लेकिन इससे पहिले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व बक्ता ने जो बात कही, मैं समझता हं कि वे जो कुछ कह रहे थे उसको समझ कर कह रहे थे या नहीं ग्रीर लोग उनकी बातों को समझ भी पाये या नहीं, इसमें मझे सन्देह है। ग्रगर यहां पर पालियामेन्ट है तो क्यों हे ? क्योंकि यहां पर जनतंत्र है । मैं यह कहना चाहना ह कि अगर यहां पर जननन्त्र है तो उसमें पालियामेंट रहेगी ही । हमारे भाई कहते हैं कि कोर्ट नहीं रहनी चाहिये । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि ग्रगर जनतंत्र रहेगा तो पालियामेल्ट ग्रीर साथ ही माथ कोर्ट भी रहेगी क्योंकि बिना कोर्ट के जनतंत्र नहीं चल सकता है और न रह सकता है। इसलिए इस ढंग की बातें नहीं कहनी चाहियें । आज कल कांग्रेस पार्टी की ग्रोर से यह बात बहत जोरों मे की जा रही है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको किसी न किसी रूप में बदनाम किया जाय और इस तरह से जो हमारे देश में ला-कोर्टस है उनको बदनाम करने की प्रक्रिया बहन जोगों से चल रही है। इस वजह से मझे बराबर इर बना रहता है । यह जो न्यायपालिका को बदनाम करनेकी प्रवत्ति चल रही है बह ठीक नहीं है। इसलिए में ग्रपनी भावना को व्यक्त कर देना चाहता हूं।

जहां तक बिल का सवाले है, यह 1939 में लागू हुआ और काज 1973 है। अगर सरकार को जमीन की जहरत है तो वह डिफेन्स के जमाने

Immoveable Property 262 (Amdt.) Bill, 1973

में, इमरजेन्सी के जमाने में तुरन्त ले लेती है। सरकार उस समय उसकी न कीमत देती है बौर न किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही सरकार के खिलाफ ही यक्ती है। यह तो इमरजेन्सी में या डिफेन्स के वारे में तो जस्टीफाइ किया जा सकता है। लेकिन 1939 से याज 1973 तक ग्रगर सरकार जमीन को प्रथने पास रखने की जरूरत को समझती है तो वह नाजाब्ता तरीके से ले बौर देश में जो कानून चल रहे हैं उन कानूनों के युताबिक रखे। सरकार यह वात नहीं चाहती है। वह क्या चाहती है ? वह यह चीज चाहती है जिसको टिरेनी कहते हैं बौर उसी हंग से वह यह काम करना चाहती है। तो सरकार जिस तरह की कार्यवाही कर रही है वह एक तरह की टिरैनो है।

श्री डाह्याभाई ब॰ पटेल : यह तो जुल्म है।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : हां, यह तो जुल्म ही है और इस बात का ख्याल रखनाचाहिए कि डेमोर्जनी में मेजारिटी का जुल्म होता है ग्रीर ग्राज संसार वे सामने इस बारे में एक प्राबलम पैदा हो गया है कि जनतन्त्र में मेजारिटी माइना-रिटी के ऊपर ग्रत्याचार करती है। इस चीज को किस तरह में रोका जाय, इसके बारे में ग्राज संसार में एक समस्या पैदा हो गई है। जब गवनेमेंट इस तरह से जुल्म कर रही हो, इस कानून के जरिये जुल्म कर रही हो, क्योंकि गवर्न-मेंट के पास मेजारिटी है ग्रीर कानन पास होगा ही। यह जो प्राबलम है, यह जो समस्या है, यह जो कानून है, यह जनतन्त्र के सामने एक समस्या के रूप में है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हं ग्रीर खासकर श्री भोला पासवान शास्त्री जी, जो सभी-सभी नए मंत्री बने हैं. उनसे तो मुझे खास तौर पर कहना है, उन की उम्र भी काफी हो चुकी है और बिहार के चीफ मिनिस्टर रहकर उन्होंने जो उदाहरण पेग किये थे वह एक इतिहास की चीज हैं । वे पालियामेंट में बलाये गये हैं झौर किसी मतलब से बुलाये गये हैं, यह कहना मेरे लिये मुझ्किल है और इसके ग्रनेक इन्टरप्रटेशन हो सकते हैं।

263 *Requisitioning and* [R.AJYA SABHA] *Acq lisilhn of*

Immoveable Properly 264 (Amdt.) Bill, 1973

निर्माण क्रौर क्रावास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री): मैं तो पालियामेंट का मेम्बर हूं ग्रौर जिस तरह से साप मेम्बर हैं उसी तरह से मैं भी मेम्बर हूं।

श्वी भूपेन्द्र नारायण मंडल : हमें तो इम बात की खुशी है कि आप यहां पर प्राये हैं घोर अग्नी पोजी-शन को उसी ढंग से रखेंगे जिस तरह का करेक्टर उन्होंने बिहार में दिखलाया उसी तरह का करेक्टर वे यहां पर भी दिखलायेंगे। मैं सिर्फ इसी लेजिस्लेशन के बारे में नहीं कहना चाहता हूं कि वे अपना करेक्टर दिखलायें क्योंकि उन्हें इन बान की परवाह नहीं है कि वे इम पद पर रहें या न रहें। मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आग इम बिल को पास न करें या इस बिल पर फिर से विचार किया जाय कि यह जो बिन है वह "टिरैनी" है या नहीं ।

एक बात बिल को मुत्र करने मना कही गई है कि उसमें स्टुक्चर खहे हैं और उनकी अवधि खत्म हो रही है और इसलिए यह नयां विल लाया गया है जिसको पास करना है । स्टब्बरों के बारे में मझे यह कहना है कि ग्रगर इस तरह के स्टकचरों का बहां पर रहना जरूरी है. वे बरबाद न हों. तब तो इस बिन को पास किया जाय। ग्रार कोई जरूरी नहीं है तो इस थिन को विदडा करने और कल ही कम्पलमरी एक्वीजीवन पाफ प्रान्धी जो होता है, जो जल्दवाजी में किया जाना है इस तरह का एक्बीजीशन साफ प्रापर्टी एक्ट के जरिये से कर लें, लेकिन डा कानन को इस ढंग से न रहने दें। इन्होंने यह भी कहा है कि एक नया कानन इसके संबंध में हम बनावेंगे. वह नया कानन अच्छी तरह सोच कर लावेंगे. लेकिन वह कानून ऐसा हो जिससे इस तरह का अन्याय न हो जैसा कि इस तरह के केसिज में होता रहता है। बस इतना ही मझे कहना है।

شری سید حسین (جموں و کشمیر): مسٹر ڈپٹی چیرمین ـ میری عادت ہے کہ میں منحالفت ابرائر منحالفت اسیں

کرتا ہوں اور ایک ممبر کی حیثیت سے جو میں فیل کرتا ہوں وہ ریفائنمینٹ سے بولتا ہوں۔ معہمر اس بات کی خوشی ہے کہ اپوزیشن ممبرس نر جو خطرمے محسوس کثر اس بل میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کی نہیں مگر مکان والوں کے مکان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی زمین لی جائر۔ میں خاص طور پر تبجربه کر حکا ہوں ۱۹۳۷ میں خس وقت ہمارے ملک پر ایک حملہ ہوا میں نے بھی اس وقت . ۱ ہزار کے قریب **م**لیشیا اکٹھی ک**ی اور م**یں انچارج تھا ان کو ثریننگ دینے کا ۔ جب ریڈرس آئر ہمارے ملک پر تو بہت سردی تھی۔ برف کری تھی اور ہم نے جو اپنر ملک کو بیحانر کے لئے جوان بلائے تھے وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ برف کیا ہوتی ہے اس وقت ان لوگوں کو هم نے آگے بارڈر پر بھیج دیا ۔ وہ حہونیڑیاں بنا کر برف میں رہے ۔ بہت ید جوان اس طرح سے مر گئے ۔ لیکن ان کو بارڈر پر رہنا ہی پڑا ۔ ہم نر ری **ان فورسمینٹ بھیج دیا ۔** ان کی جہونپڑیاں بنیں چوں کہ لوگ چاہتر تھے کہ امن طرحرہیں اس لئے اپنی مرضی سے ان کو زمین دی اور اس پر وہ رہے ۔ منجھر ذاتی تنجربہ ہے کیوں کہ میں نے کام کیا ہے فورسیز کے اندر ان لوگوں کے اندر جو ریڈرس کے خلاف لڑے۔ متجمر تنجربہ ہے جب ایک فوج کہیں جاتی ہے اس وقت اس کے ٹہرز کا ?انتظام رات کے سونر کا انتظام ی سے ہو کتا ہے جب تک لوگ اپنی مرضی سے انہیں فیسیلیٹیز ند دیں زمين نه دين ـ سول ايڈمنسٹريشن اس

وقت ہمار ی مدد کو آیا انہوں نے با ضلبطہ کمپنسیشن مقرر کیا ۔ تو منجہے ابھی تک معلوم ہے چار حملے ہوئے 1939 کا جو ایکٹ تھا اس میں 1952 میں ترمیم ہرئی اس کے بعد 1970 میں اور جو فورتھہ پیراگراف ہے اس کو پڑھہ کر میں اس بات سے متفق ہوں جو انہوں نے کہی ہے ۔ میں پڑھتا ہوں

"The Bill seeks to achieve the above objective. It is, however, intended to bring forward later a comprehensive legislation providing for revision of compensation and also for a longer period of requisition."

اب 10 مارچ کو ہمارا یہ ٹرم حُتم ہوتا ہے۔ 10 مارچ کے بعد اگر میں یہ دیکہوں کہ ہمارے بارڈر اسٹیٹ میں ایسی زمینیں ہیں جن پر فوجوں کے رہنے کی ضرورت ہے جہاں انہوں نر رات کا بسیرا کرنے کے لئے کنسٹر کشن کر ركبها ہے۔ اگر ہم اس بل كو نہيں لا تر تو 10 مارچ کے بعد ان کو کہاں رکہا جائر گا۔ 10 مارچ کے بعد بڑی بارش ہوتی ہے بارڈر پر - 10 مارچ کے بعد ہی لوگوں کو وہاں رہنا ہے ۔ اس لئے ٹائم کی ضرورت تھی ، سال آگر بڑھانے کی ۔ اس لئے اس بل کو ہم لائر ۔ لیکن ہم ان کی اس بات کو اگنور نہیں کرتر کہ یہ ایک پرمينيٽ فيچر ہے کيوں کہ صاف لکہا - @

"It is, however, intended to bring forward later a comprehensive legislation providing for revision of compensation and also for a longer period of requisition."

هم حاہتر ہیں کہ ہم ایک کمپر ہینسیو لمجسلیشن اس بارے میں لائیں ۔ میں تمام دوستوں اور آنریبل ممبرس کی توجه اس طرف انوائٹ کروں گا کہ حال هي ميں آپ نر پڙها هوگا ۔ بمبئي کے ایک اخبار میں آیا ہے کہ وہاں بليک دسمبر مناثر والر لندن ميں جنہوں نر هماری ایم:یس پر حمله کیا ان لوگوں نر پانی کو پولیوٹ کرنے کے لئے پایزن بنانر کے لئر وارننگ دی ہے۔ ساتھہ ہی میں نے اخباروں میں دیکہا کہ دلی میں بھی یہاں کے پانی کے بارے میں ایسا ہی شک ہو رہا ہے۔ آخر مسحیف مونگرس دو ہیں جو وائلنس میں بیلیو کرتے ہیں یہ مربے نہیں **ہو**تر ۔ یہ کنٹر ی کے باہر بھی ہیں اور کنٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری فوجیں ہمارے پری کاشنری میزرس قومی سطح کے ہوتے ہیں وہ پارٹی بیسیز پر نہیں ہوتر وہ کانگریس کے سوتنتر ۔ کمیونسٹ ۔ مار کسٹ یا جن سنگھہ کی بنا پر نہیں ہوتر ۔ یہ اسی بنیاد پر ہوتے عیں جس بنیاد پر ہماری فوجیں محاذ پر لڑتی ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں نوجیں کہڑی ہوتی ہیں ۔ ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے وہ قومی پراپرٹی ہے ۔ اس قومي پراپرڻي کو هم خراب هونے ديں گر اگر ہم اس بل کو 10 مارچ سے پہلر پاس نہیں کرینگر ۔

میں دیکہہ چکا ہوں ہمارے اوپر چار حملے ہوئے ۔ اس ملک پر چار

Immoveable Property 268 (Amdt.) Bill, 1973

[شری سید حسین] حملر ہوئر ان چار حملوں میں

بڑا مکان والا مارا نہیں گیا۔ وہی

كونى

श्री सैयद हसेन (जम्मु ग्रीर कश्मीर): मिस्टर डिप्टी चेयरमैन, मेरी झादत है कि मैं मुखालफत बराए मुखा-लफत नहीं करता हं और एक मेम्बर की हैसीयत से जो मैं फील करता हूं वह रिफाइनमेन्ट से बोलता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अपोजीशन मेम्बर्स ने जो खतरे महसुस किए इस बिल में बड़े-बड़े सरमाया-दारों की नहीं, मगर मकान वालों के मकान बड़े-बड़े सर-मायादारों की जमीन ली जाए। मैं खास तौर पर तज्वां कर चुका हूं। 1947 में जिस बक्त हमारे मुल्क पर एक हमला हुआ मैंने भी उस बक्त 10 हजार के करीब मले-शिया इकट्ठी की ग्रीर में इंचार्ज था उनको ट्रेनिंग देने का। जब रेडर्स आए हमारे मुल्क पर तो बहुत सर्वी थी। बर्फ गिरी थी ग्रौर हमने जो अपने मुल्क को बचाने के लिए जवान बुलाए थे वे जानते भी नहीं थे कि बर्फ क्या होती है। उस वक्त उन लोगों को हमने आगे बाइंर पर भेज दिया। वे झोंपड़ियां वना कर बर्फ में रहे । बहुत से जवान इस तरह से मर गए । लेकिन उनको बार्डर पर रहना ही पडा। हमने रिइनफोर्समेंट भेज दिया। उनकी झोंपड़ियां बनीं चुंकि लोग चाहते थे कि इस तरह रहें. इसलिए अपनी मर्जी से उनको जमीन दी और उस पर वे रहे। मुझे खाती तजवा है क्योंकि मैंने काम किया है फोर्सेंस के अन्दर , झौर उन लोगों के अन्दर जो रेडसं

+[Hindi transliteration.]

"It is, however, intended to bring forward later a comprehensive legislation providing for revision of compensation and also for a longer period of requisition."

دوان مارا گیا دس کے پاس کوئی مکان نہیں تھا بلکہ وہ قوم کے لثر وہاں مارا گیا ۔ ایک طرف ہم یہ Zni ہیں کہ بگ اسٹیٹ کو ابالش کرو ہم جاگیر داری ختم کرتر ہیں پراپرٹی سيلنگ لارھے ھيں ۔ اس وقت اسے منہ . ہیں ۔ میں سمنجمتا ہوں کہ یہ ایک پروگریسیو میزر غریب طبقوں کو اوپر اٹھانے کے کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آئیڈیالوحیکل ڈیفرنس ہو ۔ کتنر ہی لوگ سماج وادیوں کو پسند نہیں کرتر ہیں ۔ کئیوں کو یہ شکابت ہے کہ ہماری فارن پالیسی ٹھیک نہیں ہے ۔ ليکن حمان هماري فوجين پارڏر پر هين ـ جهاں بلیک دسمبر منانر والر لندن میں ہمیں ڈرا رہے ہیں ۔ جہاں امریکہ اور حیین یہ کوششں کر رہے ہیں بھارت آگر نہ بڑھہ پائے وہاں ہم چھوٹی باتوں پر دبیں ۔ ان کو رہنر کے لئے کیوں جگہ دیں ۔ آپ نر فرمایا که نوٹس نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ قانون دان کے حساب سے میں حانتا ہوں کہ با ضابطه نوٹس دی جاتی ہے۔ سیول ایڈ منسٹریشن والے نوٹس دیتر ہیں پٹواری کو بلاتر ہیں ۔ ریونیو ریکارڈ دیکہتر ہیں کہ اونر کون ہے۔ میں آئی وثنيس هوں اس بات كا كه هماري بارا. اسٹیٹ میں کروڑوں روپیہ دیا گیا . کمینسیشن ان لوگوں کو جن کی زمین

پر اسٹر کیچر رکہر ہیں ۔ ان الفاظ کے

के खिलाफ लड़े। मझे तज्याँ है जब एक फौज कहीं जाती है उस बक्त उसके ठहरने का इन्तेजाम, रात के सोने का इन्तजाम कैसे हो सकता है जब तक लोग अपनी मर्जी से उन्हें फैसिलिटीज न दें, जमीन न दें। सिविल एडमिनिस्टेशन उस बक्त हमारी मदद को झाया. उन्होंने वाजाबता कम्पेन्सेणन मकरें किया तो मझे सभी तक चब 10 मार्च को हमारा यह टर्म खत्म होता है। 10 मार्च के बाद ग्रगर में यह देखें कि हमारे बार्डर स्टेट में ऐसी जमीनें हैं जिन पर फौजों के रहने की जरूरत है जहां उन्होंने रात का बसेरा करने के लिए कन्स्ट्रक्शन कर रखा है। ग्रगर हम इस बिल को नहीं लाते तो 10 मार्च के बाद उनको कहां रखा जाएगा। 10 मार्च के बाद बड़ी बारिण होती है बार्डर पर । 10 मार्च के बाद भी लोगों को बहां रहना है। इसलिए टाइम की जरूरत थी दो साल सागे बढ़ाने की । इसलिए इस बिल को हम लाए। लेकिन हम उनकी इस बात को इगनोर नहीं करते कि यह एक परमानेंट फीचर है क्योंकि साफ लिखा है :---

"The Bill seeks to achieve the above objective. It is, however, intended to bring forward later a complehensive legislation providing for revision of compensation and also for a longer preiod of requisition."

"Ii is, however, intended to bring forward later a comprehensive legislation providing for revision of compensation and also for a longer period of requisition."

हम चाहते हैं कि हम एक कम्परीहेंसिव लेजिस्लेशन इस बारे में लाएं। मैं तमाम दोस्तों और आनरेवल मेम्बर्स की तवज्जों इस तरफ इन्वाइट करूंगा कि हाल ही में आप ने पढ़ा होगा। बम्बई के एक अख्वार में आया है कि वहां ब्लैक दिसम्बर मनाने वाले लन्दन में जिन्होंने हमारी एम्बेमी पर हमला किया उन लोगों

Immoveable Property 270 t. limit.) BUI, 1973

ने पानी को पोल्यूट करने के लिए पोइजन बनाने के लिए बारनिंग दी है। साथ ही मैंने अरूबारों में देखा कि दिल्ली में भी यहां के पानी के बारे में ऐसा ही अक ही रहा है। आखिर सिसचिफ मोंगर्स जो हैं जो वाइलेंस में बिलीव करते हैं ये मरे नहीं होते। ये कन्ट्री के बाहर भी हैं और कन्ट्री के अन्दर भी होते हैं लेकिन हमारी फौजें हमारे प्रीकाशनरी मेजर्स कौमी सतह के होते हैं। वे पार्टी वेसेस पर नहीं होते वे कांग्रेस के स्वतन्त, कम्यू-निस्ट, मार्कसिस्ट या जनसंध की बिना पर नहीं होते। यह भी बुनियाद पर होते हैं जिस बुनियाद पर हमारी फौजें सहाज पर लड़ती हैं और करोड़ों की तादाद में फौजें खड़ी होती है। उनकी अपनी जाती प्रापर्टी नहीं हम खराब होने देंगे अगर हम इस बिल को 10 मार्च से पहले पास नहीं करेंगे।

में देख चका हं हमारे ऊपर चार हमले हुए , इस मुल्क पर चार हमले हुए। उन चारों हमलों में कोई बढ़ा मकान वाला नहीं मारा गया। वही जवान मारा गया जिस के पास कोई मकान नहीं था। बल्कि बह कौम के लिए वहां मारा गया। एक तरफ हम यह कहते हैं कि बिग स्टेट को अबालिल करो हम जागीरदारी खत्म करते हैं। प्रापर्टी सीलिंग ला रहे हैं। इस वक्त उसे खत्म करते है। मैं समझता हूं कि यह एक प्रोग्नेसिब मैजर समझ कर धौर गरीब तबकों को ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कि इस में ग्राइडियालोजिकल डिफ्रेंस हो । कितने ही लोग समाजवादियों को पसन्द नहीं करते हैं। कड्यों को यह शिकायत है कि हमारी फौरेन पालिसी ठीक नही है। लेकिन जहां हमारी फौजें बोर्डर पर हैं। जहां ब्लैक दिसम्बर मनाने वाले लंदन में हंमें डरा रहे हैं। जहां ग्रमरीका ग्रौर चीन यह कोशिश कर रहे हैं कि भारत ग्रागेन बढ पाए बहां हम छोटी बातों पर दबें, उनको रहने के लिए क्यों जगह दें।

आपने फर्माया कि नोटिस नहीं लेते हैं, मैं जानता हूं कि कानूनदान के हिसाब से मैं जानता हूं कि बाजा-बता नोटिस दो जाती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेणन वाले नोटिस देते हैं पटवारी को बुलाते हैं रेवेन्यू रिकार्ड देखते है कि ग्रोनर कौन है। मैं आई विटनेस हूं इस बात का कि हमारी बार्डर स्टेट में करोगों रुपया दिया गया एज

[RAJYA SABHA]

(श्री संयद हसेन)

भाष्यग्सेशन उन लोगों को जिन की जमीन पर स्ट्रक्चर रखे हैं। इन इलफाज के साथ मैं फिर बाप में रिक्वेस्ट कर्मगा कि स्टेटमेस्ट्रम ब्राफ ब्रावजेक्टम एण्ड रीजन्म में जो लास्ट पैराब्राफ है उसको देखिये। इसमें यह कतई नहीं है कि हम दो-दो साल बढ़ाते जाएंगे। हमारी श्रोपी-नियन इस पर डिपेस्ड कर रही है।

"It is, however, intended to bring forward later a comprehensive legislation providing for revision of compensation and also for a longer period of requisition."

मैं इन इलफाज के साथ सब साथियों से क्रजं करता हूं कि इस बिल के पास करने में हम को मदद करनी चाहिए।

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : Sir, I thank you for having called me; at the same time, I should not fail to thank also my good friend, Shri Ranbir Singh, but for whose provocation I would not have arisen to speak here or to take part in this discussion. The Bill is not only for military purposes or public purposes, it is for other Ministries also which also are accommodated under the Bill, apart from the Defence Ministry.

SHRI RANBIR SINGH : I have not said anything.

SHRI S. S. MARISWAMY : If my good friend, Shri Ranbir Singh, with all his influence in his party can persuade the Minister to lay on the Table a list of the buildings that they have acquired, we can know how many mutil-millionaires' houses and buildings have been acquired. In fact, no multi-millionaires' houses have been acquired; it is only the buildings of the middle and poor classes that have been acquired and only a nominal rent is paid. How would it look if somebody comes to Shri Ranbir Singh's house, asks him to vacate it, puts up a building over it and says, •*! have put up a building, I will not vacate

Immoveable Properly 272 (1 *mdl.*) *Bill*, 1973

it, I want it for public purposes"? From that point of view wc have to sec things. You go on saying that Shri Dahyabhai Patel, Shri Balachandra Menon and other people are all capitalists and reactionaries. We also know what type of socialism you are adopting, it is the 'Benz motor car socialism' that you are adopting. My heart goes out to Shri Bhola Paswan Shastri. He is such a good man, such a reputed man. But unfortunately, he is holding somebody else's baby and it is my regret that he is moving this unpopular Bill as his first Bill here. I would have been happy if he had moved some other better Bill.

This Bill tries to give a further extension of life to the Act which we passed in 1970. Sir, my request is this-let us have a Review Committee consisting of non-official members. Let them go through the acquired properties once in six months or once a year and find out whether such buildings are really needed for the defence purposes and other public purposes. I know of certain cases where certain houses acquired by the Government by saving that they are required for defence or other public purposes have been let out as residential quarters to certain officers. You cannot call those officers as persons who are important for the defence of the country. Everybody is interested in the defence of the country. My friend, Shri Ranbir Singh, is still in the age of 'jai bolo Mahatma Gandhi ki' or 'Vande Malharam'. I also want to defend the country as much as he wants. Why should you monopolise that also? That is my very strong objection, to the trend in which he spoke.

I would request the hon. Minister who is a very good man to see that a non-official Committee is appointed. Let that Committee gj through the acquired properties and the ment it feels that a particular building to not needed for defence or other

public purposes, let it be given back to its owner, or if he is a small or a middle class man, Mr. Shastri should see that he is compensated verv well. The Government— I must say—when it acquired the Birla House where the Father of the Nation was shot dead, paid Rs. 50 lakhs as compensation to them. They could have seen to it that the Birlas give the property free or they could have acquired the property under the Defence of India Act. But they did not do either; they went out all the way to please the Birlas because they cannot afford to pick up a quarrel with But when it comes to ordinary them people, they take adanda. That kind of a double-standard should not be there. So I plead on behalf of the common man, the small man, that a Review Committee must be appointed. If that kind of a Committee is appointed to periodically go through the list of the buildings acquired, we support the Bill; otherwise, the Bill is an unpopular Bill.

SHRI OM MEHTA : Sir, I am thankful to the Members on both sides of the House for the comments that they have offered. Now, this Bill is a very simple and innocent one, and we want only to extend its life by two years. This Bill has been on the Statute Book, not from 1947, but much before 1947 when our country was not a free country. I want to make it quite clear that we never requisition any house which is in the personal use of any body; we generally requisition a house not in the personal use of man. The poor people-I would say-use their houses for their personal use, for living there. But those who are not poor generally keep houses which they give on rent or do not use personally. Generally the houses which are requisitioned are not houses which are under their personal use for residence.

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचाः इस प्रकार का प्रौविजन इसमें है क्या ?

Immovable Property 274 (Anult.) Bill, 1973 '

SHRI OM MEHTA : It is a convention. Sir, we came before the House to extend the period of this Bill for two years bewuse there is limited availability of funds for construction of houses. As you know, last year we fought a war with Pakistan and still there are certain lands and buildings which are needed for defence purposes. The bulk of the properties are required in connection with the defence of the country and efficient conduct of military operations and permanent constructions or installations have been built on a substantial part of the requisitioned lands. The Ministry of Defence have requisitioned lands and buildings mainly for the following purposes : construction of new air fields and expansion of the existing ones; establishment of ranges and provision of domestic and administrative needs of Defence personnel. Assets worth more than Rs. 2 crores have been created on such lands. If you go through the whole list of buildings and lands which we have requisitioned over the last so many years, you will find that only 264 residential houses are there and only 171 houses have been requisitioned for hospitals, messes and other official use. Along with that, Sir, we have requisitioned 44,600 acres of land for defence purposes where these installations and other things have been put up.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : These air fields, hospitals, messes, etc., are almost permanent things. Why should requisitioning be resorted to ? You can acquire them and pay compensation.

SHRI OM MEHTA : As I said, it is because of shortage of funds. As soon as the funds are available, we will create our own assets. We should not like to pay huge compensation. If we can create our own assets, we will go in for that rather than pay compensation to the people for the houses we have requisitioned- I would also like to make it clear that when we do not

275 Requisitioning and [RA.IVA SABHA] Acquisition of

[ShriOm Mental need these houses, we dcrcquisition. In the last three years, we have derequisitioned 92 buildings by the Ministry of. Works and Housing, and 40 buildings by the Ministry of Defence. Also 3,402 acres of land which was requisitioned has been derequisitioned. When we need a building, we requisition it and when we do not need it. we de-requisition it.

Then, Sir, it has been said that there is no appeal. I would like to draw Hon. Members attention to section 10 of the Act in which it has been said :

"Any person aggrieved by an order of requisition made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 may, within 21 days from the date of service of the order, prefer an appeal to the Central Government."

First of all, we go by agreement. We want agreement on the compensation. If there is no agreement, we go in for arbitration. In the arbitration generally we appoint a judge of the High Court. If he is still not satisfied, we ask for the assessors : one assessor is appointed by the Government and another assessor is appointed by the aggrieved party Still if he is not satisfied, he can go in appeal to the high Court for gelling more compensation. So, Sir, we are not working as a body lo gel all the properties of all the poor people. On the contrary, it is the properties of the rich peiple which are requisitioned.

Then Mr. Dahayabhai Patel mentioned i about Ihe requisitioning of some properly belonging to somebody related to him, or some house where Sa.rdar Vallabhai Patel used to live. That has already been derequisitioned.

Immoveable Properly 276 (limit.) Bill, 1973

SHRI DAHYABHA1 V. PATEL : I gave an example of how these rules were used.

SHRI OM MEHTA : So, Sir, all this means we never want to keep them when we do not need them. The question of Travancore House was raised by Mr. Balachancha Menon. It was never requisitioned. It is on lease from the State Government. Some unauthorised persons are in occupation of the out-houses and garages and steps are being taken to get them vacated. Sir, there is not much in this Bill. They always see something red even in an ordinary Bill. There is nothing red in this. We want to extend it only by two years. And whatever comments they have offered, we take due note of them when a comprehensive Bill comes and we will incorporate certain sections in that which will go in favour of those people whose properties we are requisitioning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952* be taken inio consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Was added to the Rill.

Clause 1, the Enacting Formula and the

Title were added to the Bill. SHRI OM MEHTA : Sir, 1 move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adoptee/.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 6-15 P.M. today.

The House then adjourned at forty-three minutes past three of the clock.

The House reassembled at fifteen minutes past six of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE BLDGET (GENERAL)

1973-74

1973-74 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 1973-74.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House now stands adjourned till 11 o' clock tomorrow.

The House then adjourned at sixteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 1st March, 1973.

MG1PRRND-C

V-18 RSS/72-27-4-73-570